रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2019/फाल्गुन 8, 1940
No. 908] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019/PHALGUNA 8, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2019

का.आ. 1042(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2939 (अ) तारीख 6 सितम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 सितम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य का संरक्षित क्षेत्र उत्तर और मध्य अंडमान जिला के अंतर्गत 5.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिएंट लेदरबैक कछुआ, ऑलिव रिडले कछुआ, हरा समुद्र कछुआ और हॉक्सबिल कछुआ के लिए आवास भूमि में से एक महत्वपूर्ण है; कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य कई जंगली पशुओं और पक्षियों के लिए मुख्य आवास भी है; कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के मध्य अंडमान में रंगट से लगभग 22 किलोमीटर (सड़क द्वारा) और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी से मध्य अंडमान द्वीप के पूर्व तट में स्थित है। पूर्ण कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी भाग में समुद्र के साथ कूथबर्ट खाड़ी आरक्षित वन के दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है, अभयारण्य का आकार छोटा होने के कारण वनों के प्रकार को स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं किया गया है और इस अभयारण्य में होने वाली अधिकांश प्रजातियां समुद्र तट वन, नम

पर्णपाती वन और अंडमान अर्ध सदाबहार वनों के प्रकार से संबंधित हैं; वन के प्रकारों का प्रमुख स्थान देखा जा सकता है, जैसा कि अभयारण्य की समुद्र किनारे से पश्चिमी सीमा (पूर्वी सीमा) की तरफ जाता है-(i) समुद्र तट वनों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व है जैसे *पोंगामीया पिन्नाटा, मनीकारा लिट्टोरालिस, कोलोफाइलम इनोफाइलम* ; आदि, (ii) अंडमान अर्ध सदाबहार वनों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व है जैसे *डिपटेरोकारपस प्रजातियां, आर्टोकारपस चप्पलाशा, टेट्रामेलस नुडिफ़्लोरा* ; आदि और (iii) अंडमान नम पर्णपाती वनों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व है जैसे *पटरोकारपस डाल्बर्गियोइड्स, बॉम्बाक्स इनसिग्निस*, आदि; अभयारण्य के दक्षिणी सीमा पर विद्यमान छोटी नदी में मैनग्रोव प्रजातियां होती है;

और, अभयारण्य में अभिलिखित महत्वपूर्ण वनस्पतियां मार्बल वुड (*डायसपायरोस मरमोराटा*), पडौक (*टेरोकार्पस डलबेरगिओडेस*), बादाम (*टरमिनालिया प्रोसेरा*), ब्लैक चुगलुम (टरमिनालिया मनी), गुरजन (*डिप्टेरोकार्पस स्पा.*), झींगम (*पजेनालिया हीदी*), जंगली आम (*मैंगिफेरा एन्डामानिका*), कोको (*अलबिज़िया लेबेक*), लाकच (*आर्टोकार्पस गोमेज़ियाना*), लाल बॉम्बवे (*प्लंचोनिया एंडमानिका*), आदि हैं। नेवा (*पोलीयाथिया पारकिंसोनी*), सी मोहेवा (*मणिलकारा लिटिरालिस*), चराइगुडुआ (*विटेक्स डाइविसिफोलिया*), आदि स्थानिक हैं; जबकि बॉम्बेक्स इंसिग्ने (*डीडू*), *तदेगी ट्राइक्रेट्रम, अमुरा मणि, प्लेकोस्पर्मम एंडमानिकम, ओलाक्स इम्ब्रिकाटा, पित्तोस्पोरम फेरुजिन, साइक्रा रम्फी* (अर्गुना) आदि संरक्षित क्षेत्र के संकटापन्न/ दुर्लभ पौधों की प्रजातियाँ हैं;

और, अभयारण्य से स्तनधारियों की प्रजातियां अभिलिखित है जिसमें अंडमान बनैला सूअर (*सूस स्क्रॉफ़ एंडमानेंसिस*), मुंजक (*मुन्टियाकस मुन्तजैक*), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), जंगल बिल्ली (फेलिस चाउस), अंडमान मास्कड पाल्म मुश्कबिलाव (*पगुमा लारवाता टाइक्लेली*), अंडमान लेसर शार्ट-नोसेस फ्रूट बैट (*सानोप्टेरस ब्राटियोटिस ब्रैकिसोमा*), डॉबसन होर्सहो बैट (*राइनोफॉस एफिमिनिस एंडेंसेंसिस*), डोनसन लॉग-टंगड फ्रूट बैट (*एनीकटेरिस स्पीला*), फुलवुस लीफ-नोस्ड बैट (*हिप्पोसाइडेरोस फुलवस फुलवस*), इंसुलर माउस-इयरड बैट (*मायोटिस ड्राय*), लेसर येलो बैट (*स्कूटूफिलस कुहली*), उत्तर अंडमान होर्सहो बैट (*राइनोफस कॉग्नेटस फैमुलस*), चूहा (*रैटस बरस्कस*), आदि हैं; यद्यपि वास्तव में समुद्री द्वीपों, सरीसृपों, पक्षियों, उभयचरों, मछलियों और अन्य निचले रूपों के भौगोलिक पृथक्ककरण के कारण बड़े स्तनधारी जीवों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है पौधों और समुद्री जैव विविधता के साथ जैसे एमराल्ड ग्रीन जेको (*फेलसुमा एंडमैनेंस*), ग्रीन सी टर्टल (*चेलोनिया मैडास*), हॉक्स बिल्ड टर्टल (*इरेटमोचेलायस इमब्रिकेट*), लेदर बैक टर्टल (*डरमोचेलायस कोरियासेया*), ऑलिव रिडली टर्टल (*लेपिडोचेलायस ओलिवासेया*), साल्ट वाटर क्रोकोडायल (*क्रोकोडायलस पोरोसस*), वाटर मॉनीटर लिजार्ड (*वारानस सलवेटोर*) को अभयारण्य में पौधे और समुद्री जैव विविधता के साथ अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है। समुद्री साँप समुद्र तटों और समीपवर्ती वनस्पति में भी देखे जाते हैं;

और, कुथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जीवजन्तु प्रचुर हैं और अभयारण्य से पक्षियों की लगभग 60 प्रजातियां अभिलिखित है जिसमें अंडमान बैंडेड क्रैक (*रेलिना कैन्निगी*), अंडमान काला कठफोड़वा (*ड्रायकोकस जेवेंसिस*), अंडमान ब्लैकनापेड मोनार्च (*मोनार्चा अज़ूरिया*), अंडमान कारलेट मिनिवेट (*पेरीक्रोकॉटस फ्लेमियस*), अंडमान चेतनुथेड बी मधुमक्खी (*मेरोप्स लेसेंकुल्ली*), अंडमान क्राउन-तीतर (*सेंट्रोपस साइनेंसिस*), अंडमान डार्क सर्प ईगल (*स्पिलोर्न इलगिनी*), अंडमान इमेराल्ड डोव (*चैलकोफोपस इंडिका*), अंडमान फूलपेकर (*डिकायूम कंसलर*), अंडमान ग्लॉसी स्टेयर (*अप्लोनिस पैनएनेसिस*), अंडमान ग्रीन शाही कबूतर (*डुकुला एनेया*), अंडमान ग्रीयरम्पेड (या 'व्हाइट-नेस्ट') स्विफ्टलेट (*कोलोकलिया फ़ूसीफागा*), अंडमान ग्राउंड थ्रश (*ज़ूथेरा सिटरिना*) अंडमान पहाड़ी मैना (*ग्रेकुला रेलिगोसा*), अंडमान कोयल (*यूडोनॉमीस*

स्कोलोपेसिया), अंडमान बड़े कोयल-श्रीके (*कोरासीना नोहेहोलैंडिया*), अंडमान मैगपाई-रॉबिन (*कोप्सिकस सायुलरिस*), अंडमान ओलिववैक सनरबर्ड (नेकटारिनिया जुगुलारिस), आदि हैं। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करता है और विभिन्न प्रकार के जलीय और स्थलीय पक्षियों के लिए एक आहार का मैदान है। जैव-भौगोलिक दृष्टि से कूथबर्ट खाड़ी समुद्र के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है और वन समृद्ध और विविध वनस्पतियों और जीवजन्तु के समुद्र तट वन का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्थलीय, जलीय और पौधों के पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन के अनुकूल है;

और, अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत बेतापुर नाला या छोटी नदी में साल्ट वाटर मगरमच्छ, मछलियों और मोलक्स के लिए महत्वपूर्ण आवास है ;

और, समुद्र तटों पर रेत बार के साथ साथ नदी के किनारे, नदी का ताल संकटापन्न प्रजातियों जैसे साल्ट वाटर मगरमच्छ, कछुआ और वाटर मॉनीटर छिपकली के लिए अच्छा आवास है;

और, कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे अधिसूचना के पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 (शून्य) से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य से 1 किलोमीटर तक परिवर्तित होता है। कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, पश्चिम में 771 मीटर से 1 किलोमीटर और उत्तर में 0 (शून्य) से 1 किलोमीटर और पूर्व दिशा की ओर शून्य मीटर तक विस्तृत है। पारिस्थितिकी संवेदी का क्षेत्र **12.89 वर्ग किलोमीटर** है। कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं अंडमान और निकोबार द्विपों के मध्य और उत्तर अंडमान जिला में स्थित है यह उत्तर अक्षांश 12^0 36' 51.298"उ से 12^0 43' 25.349" उ और पूर्व देशांतर 92^0 56' 35.772" पू से 92^0 59' 0" पू के बीच स्थित है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कूटबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** में दिया गया है;

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-IIक** और **उपाबंध-IIख** के रुप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कूटबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक **उपाबंध-III** के सारणी **क** और **ख** में दिए गए है ।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना–(1) संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए है के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्र विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण और वन;
(ii) कृषि, पशु पालन;
(iii) अंडमान लोक निर्माण विभाग;
(iv) राजस्व;
(v) मत्स्य पालन;
(vi) ग्रामीण विकास; और
(vii) अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण (एएलएचडब्लयू)और अन्य अनुसंधान संस्था।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मॉनीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**—संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग**.– **(क)** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय प्रक्षेत्र या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास भी है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना, संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन विभाग द्वारा, संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार तक, इसमें जो भी निकट हो होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे।

परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टों की स्थापना को पूर्व-परिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हे (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल .-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान की जाएगी और संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** .- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुपालन में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण होगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात**.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण**.- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनिमय जोन 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां हैं जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**विवरण**
(1)	(2)	(3)
	क.	**प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप**
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिगत उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर प्रदूषणकारी उद्योगों

		को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नदी जलीय संस्कृति।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक तरीके से यंत्रीकृत नाव से मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग A	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम हो, कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकटतम हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी।

		परन्तु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य अवसंरचनाएं ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।

	दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, जलीय कृषि और मछली पालन।	
23.	फर्मो, कॉरपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशु धन संपदा और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु के सिवाय लागू विधियों के अनुसार विनियमित (उपबन्धित के सिवाय)।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहि:स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश का बचाव किया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
25.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
27.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	पॉलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
31.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाना है ।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	बागवानी और जड़ी-बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि/वन/ आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

42.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधीसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	उपायुक्त, उत्तर और मध्य अंडमान	अध्यक्ष;
2.	सभापति, जिला परिषद, उत्तर और मध्य अंडमान	सदस्य;
3.	प्रभागीय वन अधिकारी, मध्य अंडमान	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, मेबंडर	सदस्य;
5.	संयुक्त निदेशक, कृषि, उत्तर और मध्य अंडमान	सदस्य;
6.	निदेशक, पर्यटन या उसके प्रतिनिधि	सदस्य;
7.	निदेशक, मत्स्य पालन या उसके प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, मेबंडर / निम्बुडेरा	सदस्य;
9.	संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	सदस्य;
10.	एक प्रतिष्ठित संस्था से पर्यावरण या पारिस्थितिकी या वन्य जीव पर एक विशेषज्ञ	सदस्य;
11.	संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य;
12.	प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) मेबंडर	सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध -V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उक्त वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/08/2017-ईएसजेड]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

दक्षिण – कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **ए** उत्तर अक्षांश 12^0 37'23.211" और पूर्व देशांतर $92^0$57'26.9" से आंरभ होकर और दक्षिण दिशा की ओर जाकर और बेतापुर नाला को पार करती है और इसके अतिरिक्त बिन्दु ए से 1 किलोमीटर की दूरी पर ग्रिड संदर्भ में बिन्दु डी के उत्तर अक्षांश $12^0$36'50.396" और पूर्व देशांतर $92^0$57'25.331" के उच्च टाइड लाइन के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है। सीमा इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **ई** के उत्तर अक्षांश $12^0$37'3.309" और पूर्व देशांतर $92^0$56'53.585" पहुँचती है।

पश्चिम – बिन्दु **ई** से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा इसके साथ सीधी रेखा में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है और ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **एफ** के उत्तर अक्षांश $12^0$37'14.72" पूर्व देशांतर $92^0$56'47.245" पहुँचकर जो कि ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **बी** के उत्तर अक्षांश $12^0$37'35.385" और पूर्व देशांतर $92^0$57'4.909" कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पश्चिम के कोने से 828 मीटर की दूरी पर है। सीमा इसके बाद उसी दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाकर और ग्रिड संदर्भ के बिन्दु **जी** उत्तर अक्षांश $12^0$37'24.115" और पूर्व देशांतर $92^0$56'42.068" पहुंचकर जो कि कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में बिन्दु **बी** से 771 मीटर में जाती है। सीमा इसके अतिरिक्त उसी दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाकर और बिन्दु **बी** से 873 मीटर की दूरी में शिवापुरम ग्राम की उत्तर पश्चिम सीमा के बेतापुरा नाला के निकट स्थित ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **एच** के उत्तर अक्षांश $12^0$37'35.109" और पूर्व देशांतर $92^0$56'35.99" पहुंचती है। सीमा इसके बाद बेतापुरा नाला पार करके पश्चिम दिशा की ओर जाती है और बिन्दु **बी** से 1 किलोमीटर की दूरी पर और बेतापुरा नाला के अन्य भाग में स्थित ग्रिड संदर्भ

में बिन्दु **आई** के उत्तर अक्षांश $12^0$37'34.626" और पूर्व देशांतर $92^0$56'31.886" पहुंचती है। इसके बाद सीमा कूटबर्थ खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और केप स्ट्रैचन के उत्तर पश्चिम में समुद्र के निकट स्थित ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **जे** के उत्तर अक्षांश $12^0$43'28.273" और पूर्व देशांतर $92^0$57'53.276"पहुँचती है।

उत्तर –पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा इसके बाद उच्च टाइड लाइन के साथ मुड़कर और कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा, ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **सी** के उत्तर अक्षांश $12^0$42'56.431" और पूर्व देशांतर $92^0$58'40.931" में मिलती है।

पूर्व – बिन्दु **सी** से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा उच्च टाइड लाइन के साथ दक्षिणी दिशा के साथ मुड़कर और कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व कोने में बिन्दु **ए** में मिलती है।

उपाबंध-IIक

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

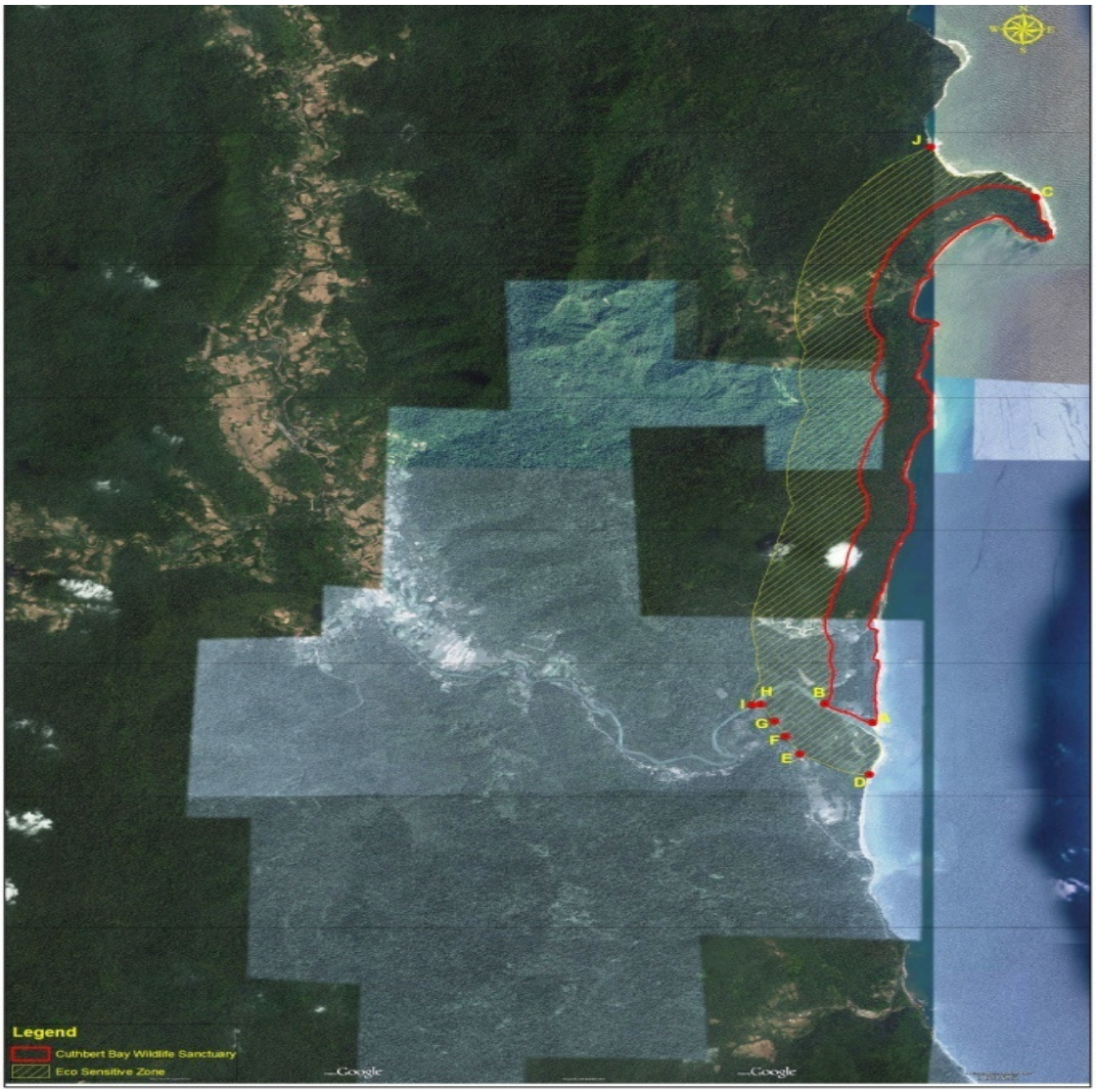

उपाबंध-IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

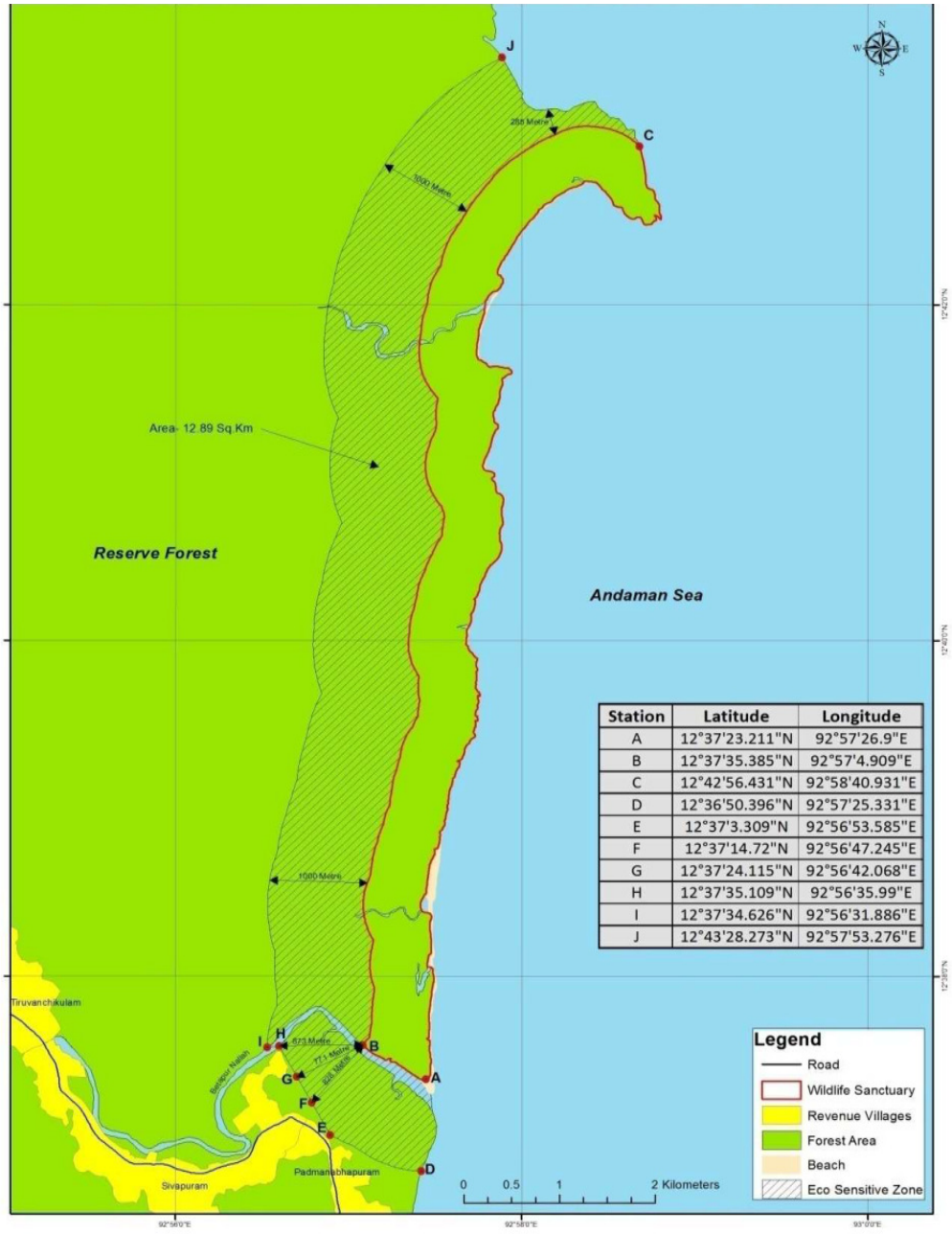

Station	Latitude	Longitude
A	12°37'23.211"N	92°57'26.9"E
B	12°37'35.385"N	92°57'4.909"E
C	12°42'56.431"N	92°58'40.931"E
D	12°36'50.396"N	92°57'25.331"E
E	12°37'3.309"N	92°56'53.585"E
F	12°37'14.72"N	92°56'47.245"E
G	12°37'24.115"N	92°56'42.068"E
H	12°37'35.109"N	92°56'35.99"E
I	12°37'34.626"N	92°56'31.886"E
J	12°43'28.273"N	92°57'53.276"E

उपाबंध -III

सारणी क: कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

अवस्थान	अक्षांश	देशांतर
1	12⁰37’23.473” उ	92⁰57’27.422” पू
2	12⁰37’35.252” उ	92⁰57’5.160” पू
3	12⁰37’55.796” उ	92⁰57’8.968” पू
4	12⁰38’12.685” उ	92⁰ 57’8.651” पू
5	12⁰39’0.805” उ	92⁰ 57’14.094” पू
6	12⁰39’47.172” उ	92⁰ 57’24.376” पू
7	12⁰40’37.663” उ	92⁰57’32.539” पू
8	12⁰41’26.612” उ	92⁰57’31.004” पू
9	12⁰42’14.043” उ	92⁰57’31.971” पू
10	12⁰42’50.532” उ	92⁰57’54.971” पू
11	12⁰42’56.584” उ	92⁰58’40.864” पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

अवस्थान	अक्षांश	देशांतर
क	12⁰37’23.211” उ	92⁰57’26.9” पू
ख	12⁰37’35.385” उ	92⁰57’4.909” पू
ग	12⁰42’56.431” उ	92⁰58’40.931” पू
घ	12⁰36’50.396” उ	92⁰ 57’25.331” पू
ङ	12⁰37’3.309” उ	92⁰ 56’53.585” पू
च	12⁰37’14.72” उ	92⁰ 56’47.245” पू
छ	12⁰37’24.115” उ	92⁰56’42.068” पू
ज	12⁰37’35.109” उ	92⁰56’35.99” पू

झ	12⁰37'34.626" उ	92⁰56'31.886" पू
ञ	12⁰43'28.273" उ	92⁰57'53.276" पू

उपाबंध- IV

भू-निर्देशांकों के साथ कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य या इसके प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत कोई ग्राम विद्यमान नहीं है।

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दाखिल की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2019

S.O.1042(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2939(E), dated the 6th September, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 6th September, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary is a protected area having an area of 5.82 square kilometers falling in North and Middle Andaman districts; and is one of the important nesting grounds for the giant leatherback turtle, olive ridley turtle, green sea turtle and hawksbill turtle. The Cuthbert Bay Sanctuary is also a prime habitat for many wild animals and birds. The Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary is located in the East Coast of Middle Andaman Island lying at a distance of about 22 kilometers (by road) from Rangat in Middle Andaman and about 250 kilometers from Port Blair. The entire Cuthbert Bay Sanctuary falls inside the South Eastern part of the Cuthbert Bay Reserved forest with sea in the Eastern side. The Sanctuary being small in size does not have very distinctly demarcated forest types and most of the species occurring in this sanctuary belong to Littoral forests, Moist deciduous forests and Andaman semi evergreen forest types. The major zonation of forest types that can be seen, as one moves towards the western boundary of the Sanctuary from the sea shore (Eastern boundary) are (i) Littoral forests represented by species like *Pongamia pinnata, Manikara littoralis, Calophyllum inophyllum,* etc., (ii) Andaman Semi Evergreen Forests represented by species like *Dipterocarpus* spp., *Artocarpus chaplasha, Tetrameles nudiflora,* etc. and (iii) Andaman Moist Deciduous Forests represented by species like *Pterocarpus dalbergioides*, *Bombax insignis,* etc. Mangrove species occur in the creek existed on the southern boundary of the Sanctuary;

AND WHEREAS, the important flora recorded from the sanctuary are marble wood (*Diospyros marmorata),* padauk (*Pterocarpus dalbergioides),* badam (*Terminalia procera),* black chuglum (*Terminalia manii),* gurjan (*Dipterocarpus* spp.*),* jhingam (*Pajenalia rheedii),* jungli aam (*Mangifera andamanica),* koko (*Albizia lebek),* lakuch (*Artocarpus gomeziana),* lal bombwe (*Planchonia andamanica),* etc. Neva (*Polyalthia parkinsonii*), sea mohwa (*Manilkara littoralis*), charaigudua (*Vitex diversifolia*), etc. are the endemic; while *Bombax insigne* (didu), *Tadehagi triquetrum*, *Amoora manii*, *Plecospermum andamanicum*, *Olax imbricata*, *Pittosporum ferrugineum*, *Cycas rumphii* (arguna) etc. threatened/rare plant species of the protected area;

AND WHEREAS, species of mammals reported from the Sanctuary includes Andaman wild pig (*Sus scrofa andamanensis*), barking deer (*Muntiacus muntajak*), spotted deer (*Axis axis*), jungle cat (*Felis chaus*), Andaman masked palm civet (*Paguma larvata tyckelli*), Andaman lesser short-nosed fruit bat (*Cynopterus brachyotis brachysoma*), Dobson's horseshoe bat (*Rhinolophus affinis andamensis*), Donson's long-tongued fruit bat (*Eonycteris spelaea*), fulvus leaf-nosed bat (*Hipposideros fulvus fulvus*), insular mouse-eared bat (*Myotis dryas*), lesser yellow bat (*Scotophilus kuhli*), north Andaman horseshoe bat (*Rhinolophus cognatus famulus*), rat (*Rattus burrescns*), etc. Though the large mammalian fauna is not well represented due to geographic isolation of the truly oceanic islands, reptiles, birds, amphibians, fishes and other lower forms such as Emerald green gecko (*Phelsuma andamanense*), green sea turtle (*Chelonia mydas*), hawks billed turtle (*Eretmochelys imbricate*), leather back turtle (*Dermochelys coriacea*), olive ridley turtle (*Lepidochelys olivacea*), salt water crocodile (*Crocodylus porosus*), water monitor lizard (*Varanus salvator*), etc. along with plant and marine biodiversity are well represented in the Sanctuary. Sea snakes are also seen in the beaches and in the adjoining vegetation;

AND WHEREAS, Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary is very rich in avian fauna and about 60 species of birds have been recorded from the Sanctuary which includes Andaman banded crake (*Rallina canningi*), Andaman black woodpecker (*Dryocopus javensis*), Andaman blacknaped monrach (*Monarcha azurea*), Andaman carlet Minivet (*Pericrocotus flammeus*), Andaman chestnutheaded bee eater (*Merops leschenaulti*), Andaman crow-pheasant (*Centropus sinensis*), Andaman dark serpent eagle (*Spilornis elgini*), Andaman Emerald dove (*Chalcophaps indica*), Andaman flowerpecker (*Dicaeum concolor*), Andaman glossy stare (*Aplonis panayensis*), Andaman green imperial pigeon (*Ducula aenea*), Andaman greyrumped (or 'White-nest') swiftlet (*Collocalia fuciphaga*), Andaman ground thrush (*Zoothera citrina*), Andaman hill myna (*Gracula religiosa*), Andaman koel (*Eudynamys scolopacea*), Andaman large cuckoo-shrike (*Coracina novaehollandiae*), Andaman magpie- robin (*Copsychus saularis*), Andaman olivebacked sunbird (*Nectarinia jugularis*), etc. The area also attracts migratory birds and is a feeding ground for a variety of aquatic and terrestrial birds. Bio-geographically, Cuthbert Bay being the transition zone of sea and the forest represents the littoral forest having rich and diverse flora and fauna, well adapt to life in terrestrial, aquatic and arboreal ecosystems;

AND WHEREAS, the Betapur nallah or creek falls in the Eco-Sensitive Zone of the Sanctuary is an important habitat for the salt water crocodile, fishes and molluscs;

AND WHEREAS, the sea shore, river beds as well as sand bar on the beaches serves as an excellent habitat for the endangered species like salt water crocodile, turtles and water monitor lizard;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent from 0 (zero) to 1 kilometer around the boundary of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary, in North and Middle Andaman districts in the Union Territory of

Andaman and Nicobar Islands as the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (here after in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone. –** (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from **zero** to **1 kilometre** around the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary; the extents vary 1 kilometer towards South, 771 meters to 1 kilometer in the West and 0 (zero) to 1 kilometer in the North and 'zero' meter towards East direction from the boundary of the Protected Area of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary; the area of Eco-sensitive Zone is **12.89 square kilometres** and boundaries of Eco-sensitive Zone of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary located in the districts of Middle and North Andaman of Andaman and Nicobar Islands are situated between North Latitude 12^0 36' 51.298" N to 12^0 43' 25.349" N and East Longitude 92^0 56' 35.772" E to 92^0 59' 0" E.

   (2) The boundary description of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

   (3) The map of the Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

   (4) The geo-coordinates of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

   (5) The list of villages falling within the Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. -** (1) The Union Territory Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of the Union Territory.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the Union Territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and the Union Territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union Territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely: -

   (i) Environment and Forests,
   (ii) Agriculture, Animal Husbandry,
   (iii) Andaman Public Works Department (APWD),
   (iv) Revenue,
   (v) Fisheries,
   (vi) Rural Development, and
   (vii) Andaman Lakshadweep Harbour Works (ALHW) and other Research Institutions.

   (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

   (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

   (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

   (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

   (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union Territory Government. - The Union Territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or the Union Territory Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union Territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the Union Territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. -The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union Territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism. - (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Union Territory Department of Tourism in consultation with the Union Territory Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution. - Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be compiled with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the Union Territory Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under: -

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste. – Bio Medical Waste Management shall be as under: -

(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management. - The construction and demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The e - waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the Union Territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units. – (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under: -

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	River aqua culture.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Fishing by mechanized boat in large scale commercial manner.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the Union Territory Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or Union Territory Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).

17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
27.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification. - For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

1.	Deputy Commissioner, North & Middle Andaman	Chairman;
2.	Chair-Person, Zilla Parishad, North And Middle Andaman	Member;
3.	Divisional Forest Officer, Middle Andaman	Member;
4.	Executive Engineer, Maybunder	Member;
5.	Joint Director, Agriculture, North And Middle Andaman	Member;
6.	Director ,Tourism or his representative	Member;
7.	Director ,Fisheries or his representative	Member;
8.	Senior Veterinary Officer, Mayabunder/Nimbudera	Member;
9.	One representative of Non-governmental Organizations working in the field of Environment (including heritage conservation) to be nominated by the Union Territory/ Central Government	Member;
10.	One expert on environment/ ecology/wild life from a reputed Institution	Member;
11.	Member of the Union territory Biodiversity Board	Member;
12.	Divisional Forest Officer (WL) Mayabunder	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the Union Territory Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the Union Territory Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union Territory as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures. -The Central Government and the Union Territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. Orders. -The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No.25/08/2017-ESZ]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE CUTHBERT BAY WILDLIFE SANCTUARY, ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

SOUTH – Eco-sensitive Zone boundary of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary starts from a point **A** at a grid reference of North latitude $12^0$37'23.211" and East longitude $92^0$57'26.9" and proceeds towards South direction and crosses the Betapur nallah and proceeds further towards South direction along the High Tide Line upto point **D** at a grid reference of North latitude $12^0$36'50.396" and East longitude $92^0$57'25.331" at a distance of 1 kilometer from the point **A**. The boundary then moves towards west direction and reaches a point **E** at a grid reference of North latitude $12^0$37'3.309" and East longitude $92^0$56'53.585" maintaining a distance of 1 kilometer from the boundary of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary.

WEST – From the point **E** the Eco-sensitive Zone boundary then proceeds towards North West direction in a straight line and reaches a point **F** at a grid reference of North latitude $12^0$37'14.72" and East longitude $92^0$56'47.245" which is at a distance of 828 m from the South West corner of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary point **B** having grid reference of North latitude $12^0$37'35.385" and East longitude $92^0$57'4.909". The boundary then proceeds further towards North West direction in the same bearing and reaches a point **G** at a grid reference of North latitude $12^0$37'24.115" and East longitude $92^0$56'42.068" which is 771 m away from the boundary of the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary at point **B**. The boundary proceeds further towards North West direction in the same bearing and reaches a point **H** at a grid reference of North latitude $12^0$37'35.109" and East longitude $92^0$56'35.99" located near Betapur nallah on the North Eastern boundary of Sivapuram village at a distance of 873 m from the point **B**. The boundary then crosses the Betapur nallah towards west direction and reaches a point **I** at a grid reference of North latitude $12^0$37'34.626" and East longitude $92^0$56'31.886" located at the other side of the Betapur nallah and at a distance of 1 kilometer from the point **B**. Thereafter the boundary moves towards North direction maintaining a distance of 1 kilometer from the West boundary of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary and a reaches a point **J** at a grid reference of North latitude $12^0$43'28.273" and East longitude $92^0$57'53.276" located close to the sea in the North West of Cape Strachen.

NORTH –The Eco-sensitive Zone boundary then move along the High Tide Line and meets at point **C** at a grid reference of North latitude $12^0$42'56.431" and East longitude $92^0$58'40.931", the Northern boundary of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary.

EAST – From the point **C**, the Eco-sensitive Zone boundary moves towards Southern direction along the High Tide Line and meets at point **A** at the South East corner of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CUTHBERT BAY WILDLIFE SANCTUARY, ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

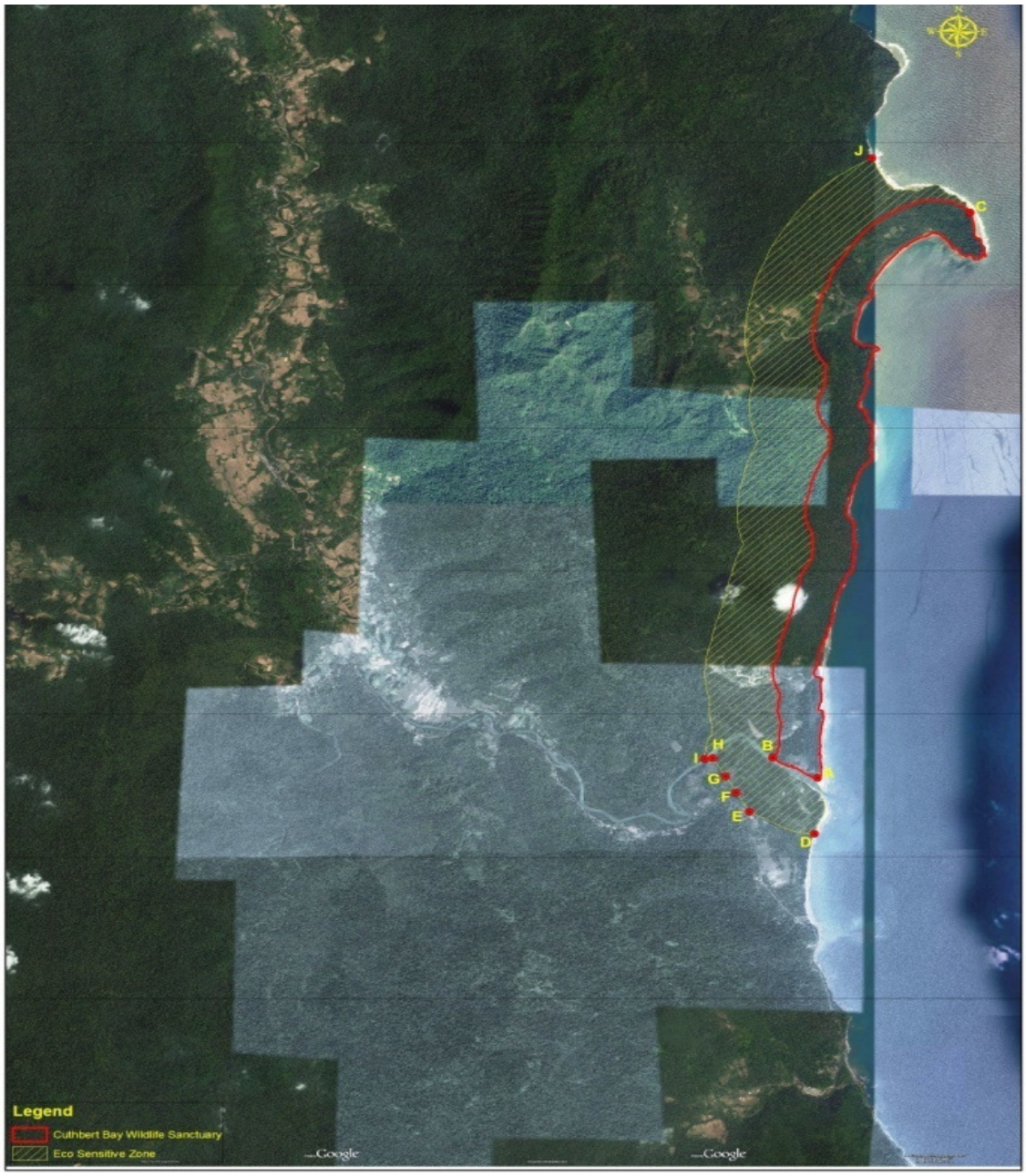

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CUTHBERT BAY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

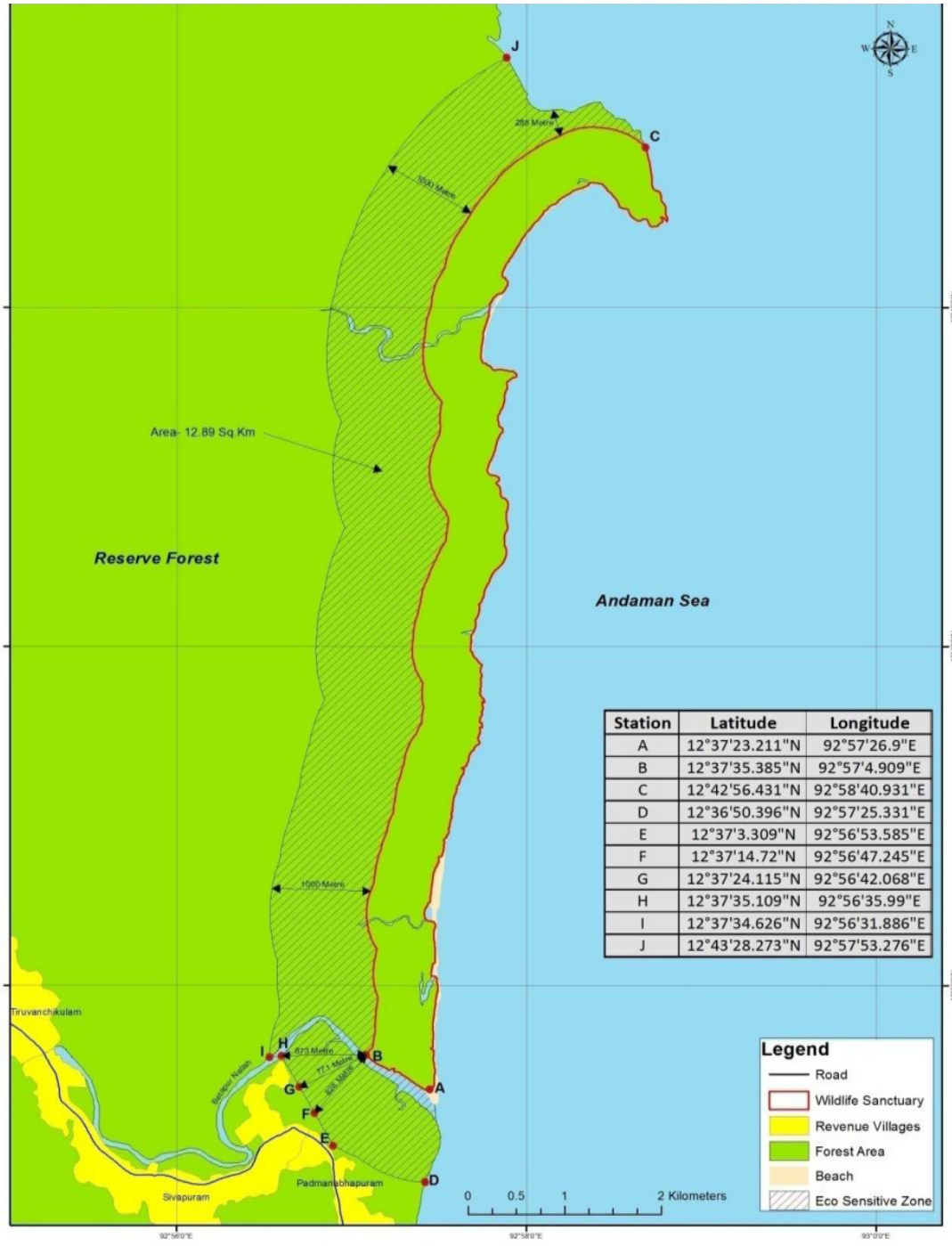

Station	Latitude	Longitude
A	12°37'23.211"N	92°57'26.9"E
B	12°37'35.385"N	92°57'4.909"E
C	12°42'56.431"N	92°58'40.931"E
D	12°36'50.396"N	92°57'25.331"E
E	12°37'3.309"N	92°56'53.585"E
F	12°37'14.72"N	92°56'47.245"E
G	12°37'24.115"N	92°56'42.068"E
H	12°37'35.109"N	92°56'35.99"E
I	12°37'34.626"N	92°56'31.886"E
J	12°43'28.273"N	92°57'53.276"E

ANNEXURE-III

TABLE A: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS OF CUTHBERT BAY WILDLIFE SANCTUARY, ANDAMAN AND NICOBAR, ISLAND

Location	Latitude	Longitude
1	$12^0$37’23.473” N	$92^0$57’27.422” E
2	$12^0$37’35.252” N	$92^0$57’5.160” E
3	$12^0$37’55.796” N	$92^0$57’8.968” E
4	$12^0$38’12.685” N	92^0 57’8.651” E
5	$12^0$39’0.805” N	92^0 57’14.094” E
6	$12^0$39’47.172” N	92^0 57’24.376” E
7	$12^0$40’37.663” N	$92^0$57’32.539” E
8	$12^0$41’26.612” N	$92^0$57’31.004” E
9	$12^0$42’14.043” N	$92^0$57’31.971” E
10	$12^0$42’50.532” N	$92^0$57’54.971” E
11	$12^0$42’56.584” N	$92^0$58’40.864” E

TABLE B: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Location	Latitude	Longitude
A	$12^0$37’23.211” N	$92^0$57’26.9” E
B	$12^0$37’35.385” N	$92^0$57’4.909” E
C	$12^0$42’56.431” N	$92^0$58’40.931” E
D	$12^0$36’50.396” N	92^0 57’25.331” E
E	$12^0$37’3.309” N	92^0 56’53.585” E
F	$12^0$37’14.72” N	92^0 56’47.245” E
G	$12^0$37’24.115” N	$92^0$56’42.068” E
H	$12^0$37’35.109” N	$92^0$56’35.99” E
I	$12^0$37’34.626” N	$92^0$56’31.886” E
J	$12^0$43’28.273” N	$92^0$57’53.276” E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF CUTHBERT BAY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

No village exists within the limit of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary or its proposed Eco-Sensitive Zone.

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.03.01 22:16:21 +05'30'